RAJYA SABHA

Friday, the 4th August, 1995/13th Sravana, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

*81. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**†
श्री राम जेठमलानी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एग्जामिनर्स फूले सी०बी०एस०ई० मार्किंग स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दसवीं तथा बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उत्तर पुस्तिकाओं के वर्तमान मूल्यांकन में अधिकतम पारदर्शिता, प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता लाने हेतु निर्देश जारी करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को उत्तर-पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रणाली में एक ऐसा अंतः निर्मित तंत्र है जिसमें उसकी दक्षता, विश्वसनीयता, प्रमाणिकता तथा निरपेक्षता यथा संभव अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित की जाती है। बोर्ड अपने मूल्याकन के स्तर में और सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय सभापति जी, आम तौर पर यह माना जाता है कि परीक्षा परिणाम का सीधा संबंध विद्यार्थियों की वर्षभर की मेहनत और उनकी पढ़ाई से होता है, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद यह लगा कि परीक्षा परिणाम का संबंध पढ़ाई से कम और पर्चा जांचने वाले एक्जामिनर के मूड से ज्यादा होता है। जैसा कि खबर में लिखा गया है, आलू और प्याज का भाव पूछते हुए महिलाएं पर्चा जांचती हैं। यदि पत्नी से लड़कर बिगड़े हुए मूडवाला पति पर्चा जांचता है तो फिर विद्यार्थियों का भगवान ही राखा है।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि आपने मेरे प्रश्न के भाग (क) का जवाब यह दिया है कि सरकार का ध्यान इस खबर की ओर गया है, लेकिन (ग) और (घ) में जहां मैंने यह पूछा कि तो फिर आप ने कोई इंडपेंडेंट इंक्वायरी करायी थी? इस का जवाब आप ने (ग) में "न" में दिया है। अब मैं आप से पूछना चाहती हूं कि यह इतने गंभीर तथ्यों वाली खबर छपी है, या तो यह खबर असत्य है और अगर असत्य है तो उसका सी०बी०एस०ई० की तरफ से खंडन आना चाहिए था और अगर खबर सत्य है, असत्य नहीं है तो उस के तथ्यों की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन आप ने सपाट जवाब दिया कि ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। मैं आप से जानना चाहूंगी कि आप ने कोई इंक्वायरी कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी जबकि इतने गंभीर तथ्य वाली यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी?

श्री हेच० हनुमनतप्पा: यह सारी **नौबत इसलिए** आती है कि घर में मूड खराब कर देते हैं।

SHRI CHATURANAN MISHRA: We all sympathise with your problem, Mr. Hanumanthappa. (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप मंत्री महोदय का मूड मत खराब करिए, बैठ जाइए।

कुमारी शैलजा: सर, जहां तक इस रिपोर्ट की बात है, हम ने इसे पढ़ा है और सारा देखा है, लेकिन सी०बी०एस०ई० की तरफ से जो एक्जामिनेशन सिस्टम हम ने बनाया है और उस के बाद जो

†सभा में यह प्रश्न श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पूछा गया।

हमारे पास नतीजे आए हैं, उस से यह साबित नहीं होता है कि यह सत्य है यह जो पूरी प्रेस रिलीज आई है, प्रेस रिपोर्ट आई है। हम यह जरूर मानते हैं कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम ने कोशिश की है ओवर द इयर इस को इवाॅल्व करने की कि हम इस को अच्छा सिस्टम बनाएं और उस में यह है कि हम पेपर सेट करने से पहले उस को सारा देखते हैं, कई सेट्स बनाए जाते हैं, मल्टीपल सेट्स सिस्टम हम ने इंट्रोड्यूस किया है। उस के बाद जब मार्किंग होती है, आंस्वर शीट्स जब चेक की जाती है तो सभी एक्जामिनर्स को पहले बताया जाता है कि किस तरह से करना है। उन को आंस्वर्स के बारे में यह भी जानकारी देते हैं कि इस तरह का जवाब हो तो इतने नंबर मिलेंगे। वह सारा सिस्टम वहां लागू होता है। एक हैड एक्जामिनर होता है उसके बाद दो कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर एक्सजामिनर्स होते हैं। जब एक्जामिनर्स मार्किंग कर लेते हैं तो उस के बाद कोआर्डिनेटर उस को टोटल करते हैं। जब यह सारे मार्क हो जाते हैं तो अटरेंडम 10 परसेंट को हैड एक्जामिनर दोबारा चैक करते हैं कि इन्होंने जवाब को ठीक से मार्क किया है कि नहीं मतलब इवाॅल्यूशन की जाती है और इस चीज को हर रोज करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि यह सारा सिस्टम ठीक रहे और इस तरह की चीज इस में न आए। इस के अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी, इस में एक और बात कही थी कि 50 प्रतिशत के लगभग उन को मार्क्स दे दिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तथ्य: कुछ ऐसा कहते हैं कि जो पर्सेन्टेज है, उस में अबाउट 33 पर्सेन्ट के करीब कैंडीडेट्स को 50 मार्क्स मिले हैं। 27 प्रतिशत के करीब दिल्ली में, दिल्ली की बात है, 27 प्रतिशत के करीब बच्चों को 60 से 75 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं। यह ऐसी बात नहीं है और 11 प्रतिशत के करीब बच्चों को 45 से 50 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं। ...(व्यवधान)...

डा॰ बापू कालदातेः यह जो जवाब दे रहे हैं, मूड खराब हो सकता है। जरा शॉर्ट कीजिए। ...(व्यवधान)...

कुमारी शैलजाः मैं पूरा सिस्टम बताना चाहती हूं कि इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम को पूरा किया जाए। लेकिन, यहां तक ट्रांपेरेन्सी की बात है, मैं मानती हूं कि इसमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक किया जाए। तो सी॰बी॰एस॰ई॰ ने अपना एक सेमिनार रखा है सितम्बर में, कि इस पर वाइटल डिस्कशन किया जाए ताकि इसमें भी उसको थोड़ा और ठीक कर सकें।

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, मंत्री महोदय का यह कहना है कि जिस तरह का मैकेनिज्म हमारे यहां डेवलप है, उसके लगते हमें लगा नहीं कि खबर सही है, यह सर्वथा सत्य नहीं। आप भी मानेंगे इस बात को, मैकेनिज्म तो हमारे यहां हर चीज का डेवलप है और उन मैकेनिज्म के रहते हुए घोटाले होते हैं, उन मैकेनिज्म के रहते हुए धांधलियां होती हैं। इसलिए यह अंदाज लगा लेना कि मैकेनिज्म अच्छा है, यह खबर सही नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप निर्देश दें कि इस खबर की वह जांच करें।

दूसरी सप्लीमेंटरी मेरी यह है कि जिन मैकेनिज्म का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें से केवल मैं दो की जानकारी आपसे लेना चाहती हूं। आपने अभी कहा कि सेकेण्ड इवेल्यूएशन के लिए हमारे यहां नियुक्ति होती है, एक आदमी सेकेण्ड इवेल्यूशन भी करता है। उसको कोर्डिनेटर कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि वह कोर्डिनेटर जो जांचे हुए पर्चे की पुनः जांच करता है, क्या इसमें यह शर्त है कि वह व्यक्ति उसी विषय का अध्यापक होगा, जिस विषय का पर्चा जांच रहा है? और, अगर यह शर्त है तो क्या उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है? क्या सभी कोर्डिनेटर वही लगाए जाते हैं, जो उस विषय के अध्यापक हैं, जिस विषय के पर्चे की वह जांच कर रहे हैं? दूसरी बात, इसी में आपने प्लस मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसमें 20 पर्चे एट ए टाइम देखने होते हैं। तो क्या यह नियम है कि किसी खास अवधि में वह 20 पर्चे जांचने जरूरी हैं? अगर उसमें ज्यादा टाइम लगाएगा। तो रेफरेशमेंट एलाउन्स कट जाएगा, कन्वेन्स एलाउन्स कट जाएगा और अगर उससे ज्यादा पर्चे जांचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा? क्या यह रूटीन चेकिंग के लिए इन्सेन्टिव नहीं है और ध्यान से की जाने वाली चेकिंग के लिए डिसइनसेंटिव नहीं है? यह दो जानकारी मैं आपसे चाहूंगी।

कुमारी शैलजाः सर, जहां तक कोर्डिनेटर की बात है, जो दो कोर्डिनेटर होते हैं वह दुबारा इवेल्यूएशन नहीं करते । इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ टोटल दुबारा करके देखना है कि जो टोटल किया गया है, वह ठीक किया है या नहीं। उसके नंबर दुबारा देखते हैं, या कि अ र बिना मार्क किए कोई रह गया है, वह बात है। जहां तक नंबर आफ आन्सर शीट की बात है, ...(व्यवधान)... नंबर आफ आन्सर शीट की जो बात है, तो तकरीबन वैसे

तो 20 और 25 कहा गया है, तो 20 हम समझते हैं, कि तकरीबन 20 मिनट एक आन्सर शीट पर लग जाता है, जो कि फेयर एनफ है। तो 20 मिनट एक आन्सर शीट पर लग जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: तीन मिनट देते हैं। दो से तीन मिनट देते हैं।

कुमारी शैलजा: नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मगर खबर में यह है कि 2 से 3 मिनट।

कुमारी शैलजा: नहीं, वह गलत है। बीस मिनट के करीब एक आन्सर शीट को लगते है। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, मैंने जो पूछा आपसे, लेकिन आपने यह अवधि का कहा कि 20 मिनट है, खबर में तो 3 मिनट है, अभी क्या यह नियम है कि उस अवधि में अगर कोई पर्चे नहीं जांचेगा तो रेफरेशमेंट एलाउन्स कट जाएगा, कन्वेन्स एलाउन्स कट जाएगा और अगर उस अवधि में ज्यादा पर्चे जांचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा? अगर यह नियम है तो इसका मतलब रूटीन चेकिंग के लिए यह एक इनसेंटिव है और ध्यान से की जाने वाली चेकिंग के लिए डिसनइंसेंटिव है। यह मेरा सवाल है।

कुमारी शैलजा: जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो दिन के हिसाब से है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, आप देख लीजिए। मैं चाहूंगी कि आप देखकर जवाब दें, यह मत कहिए कि यह नहीं है।

कुमारी शैलजा: नहीं, दिन के हिसाब से दिया जाता है। दिन के हिसाब से रेफरेशरमेंट दिया जाता है कि एक दिन में इतना और इतना कनवेन्स एलाउन्स। एक दिन का 20-25 आन्सरशीट का है कि वह चेक करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Jethmalani. Not here. Shri Ramji Lal.

श्री रामजी लाल: सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री महोदया ने हमारे सामने सही तथ्य रखे हैं, लेकिन इनके अलावा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सी०बी०एस०ई० मार्किंग स्कीम को इस तरह से तैयार करेगी कि एग्जामिनेशन पैटर्न की ट्रान्सपेरेन्सी, अथॉसिटी और क्रेडिबिल्टि बनी रहे?. यदि हां, तो सरकार ने इवेल्यूएशन के बाद कितने ऐसे पेपर पाए जिनमें गलत मार्किंग हुई? सरकार इसके बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी शिकायतें न आएं?

कुमारी शैलजा: सर, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर समय हम देखते हैं और अगर खामियां पाई जाती हैं तो उसको हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम यह स्टेप बराबर लेते रहते हैं। इसके अलावा हमारे सामने ऐसी कोई फिगर नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि दोबारा कितने इवेल्यूएट किए गए और कितने कम पाए गए? ऐसी इंफार्मेशन इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन इस समय मैं यही बात कहूंगी जो मैंने पहले ही कही कि यह इवेल्यूएशन सिस्टम है और ट्रांसफिरेंसी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम परफेक्ट कर सकें।

श्री राम गोपाल यादव: माननीय सभापति जी, यह जो प्रश्न है मूल रूप से इवेल्यूएशन से संबंधित है, पूरे एक्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित नहीं और खबर जो है वह भी मार्किंग को लेकर ही है। कभी-कभी यह देखने में आया है कि टीचर हिस्ट्री का है और जांच रहा है जीआ ग्रीफि शीट। अगर एक अध्यापक जांचता है तो 60 परसेंट मार्क्स मिलते हैं और अगर उसी को दूसरा जांचता है तो 40 और 30 परसेंट तक मार्क्स रह जाते हैं। जो डेस्क्रेऐव क्वेशचंस होते हैं उसमें तो यह वेरिएशन होता ही है। इसलिए कभी-कभी यह सजेशन दिया गया कि एक शीट को कम से कम दो लोग जांचें। पहला एक्जामिनर जिस पर नम्बर दें उस पर चिट लगा दी जाती है और दूसरा दूसरे नम्बर देता है, तो उसके बाद उसको ऐवरेज कर दिया जाए ताकि किसी के मूड खराब होने से या किसी अन्य वजह से छात्र के साथ कोई अन्याय न हो। क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय....(**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी: दोनों का मूड खराब हो जाए तो?

श्री राम गोपाल यादव: वैसे एक अध्यापक होने के नाते, इंटरमीडिएड से लेकर एम०ए० तक का मैं एक्जामिनर रहा हूं और मुझे मालूम है ऐसे केसेज हुए हैं कि एक अध्यापक ने चार कॉपी जांच ली। उसने पढ़ा ही नहीं था, केवल उसमें उसने अकबर शब्द पढ़ लिया।

Then he came to know that the papers he was evaluating were of history and the examiner was of geography.

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस पर कोई जांच हुई है या नहीं? इस पर आपने कोई जांच कराई है तथा वास्तव में सही तरीके से आंसर शीट इवेल्यूएट हुई है या नहीं? यह नहीं कि वहां हैड एक्जामिनर है। हैड एक्जामिनर मैं भी रहा हूं। हैड एक्जामिनर कभी 4-5 कॉपी सेम्पिल के

लिए तो लेता है लेकिन कभी चैक नहीं करता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है उसकी आपने जांच कराई या नहीं कराई, यही मैं जानना चाहता हूं?

कुमारी शैलजा: सर, जहां तक सब्जेक्ट की बात है—हिस्ट्री और जीऑग्रीफि, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने एक सिस्टम यह बनाया है कि एक सेंटर एक ही सब्जेक्ट का होगा। अगर वहां हिस्ट्री के पेपर्स चैक हो रहे हैं तो वहां हिस्ट्री के ही होंगे। उस सेंटर में जीऑग्रीफि के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Each subject has a different evaluation centre.

इसके अलावा जो हैड एक्जामिनर है वह भी उसी सब्जेक्ट का है। तो वह दस परसेंट रेंडम चैकिंग करते हैं। अगर व्यापक तौर पर कुछ गलती है तो It will come to light. That is the purpose behind it. The co-ordinators then total them all. That is the system.

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मूल्यांकन ही नहीं पूरी परीक्षा ही प्रमाणित और विश्वसनीय होनी चाहिए। परन्तु हमारे देश के शिक्षाविद् यह महसूस करते हैं कि हमारी परीक्षा पद्धति त्रुटिपूर्ण है और छात्र एवं छात्राओं की योग्यता और प्रतिभा का सही और पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो क्या शिक्षा मंत्रालय कोई ऐसी समिति बनाने पर विचार कर रही है जो ऐसी परीक्षा पद्धति हो जिससे कि छात्र एवं छात्राओं की प्रतिभा और योग्यता का पूरे वर्ष सही और पूर्ण मूल्यांकन हो सके?

कुमारी शैलजा: सर, यह चीज मैं बार-बार बोल रही हूं। इसके लिए हम कंटीन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में हमने नई चीजें लाने की कोशिश की भी है ताकि हम इस सिस्टम को ठीक कर सकें। जैसा कि 1992 में हम एक स्कीम लेकर आए थे "रीआर्गेनाइज़ेशन एंड स्पॉट इवेल्यूएशन" जो कि हमने सुपरविज़न को इंप्रूव करने के लिए किया था और मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर्स ऐक्जामिनेशन्स को ठीक करने के लिए, कॉपिंग को ठीक करने के लिए कहा था और pre-testing of the marking sheets before they go to the evaluation centres. This is to have the feedback to further rationalise the marking scheme, if needed. तो ये हम कंटीन्यूअसली करते रहते हैं। इसके अलावा हम अपनी मिनिस्ट्री की ओर से रीजनल सेमिनार्स कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी उनको ऐड्रेस करेंगे जगह-जगह पर देश में। This is one of the topics—examination reforms. ताकि व्यापक रूप में हम इस पर डिसकशन करें और जो हमारी अभी स्कीम है, उसको भी देखें और इसके अलावा लगता है कि अगर इंप्रूवमेंट हो सकती है, यह मैंने शुरू में कहा कि We feel that it is a good system. We have evolved it over the years. I am sure that nothing can be perfect. अगर इसमें भी जरूरत पड़ती है कि If there is any further scope, we are quite open to it. It is not a closed system. We are quite open. और रीजनल हम सेमिनार्स करने जा रहे हैं, उसमें डिसकस करेंगे। कुछ और नई चीजें आती हैं, नए सजेशन आते हैं तो We will certainly welcome them. We will certainly welcome them.

श्री शंकर दयाल सिंह: सर, सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधान मंत्री इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं कि मैं नहीं रहूं तो ये पूरी बैंच खाली रहे? बड़ा बुरा लग रहा है। एक-दो मंत्री उधर बैठ जाएं तो अच्छा लगेगा, बड़ा बुरा लग रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्री अजीत जोगी: हम अकेले काफी हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, Governments are run by fax messages...(*interruptions*)...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, it is an eloquent comment on the Enron issue.

MR. CHAIRMAN: Enron issue!

SHRI S. JAIPAL REDDY: The whole vacant benches are an eloquent comment on the Enron issue.

MR. CHAIRMAN: You raise it later. Question No. 82—Shri V. Hanumantha Rao. He is not present.

*82. [*The Questioner (Shri V. Hanumantha Rao) was absent. For answer vide Col. 33 infra.*]

MR. CHAIRMAN: Question No. 83—Shri V. Rajeshwar Rao. He is not present. Dr. Jichkar.

श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल: सर, ये इलेक्शन का रिज़ल्ट पहले से बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

*شری محمد افضل عرف م۔ افضل : سر۔ یہ الیکشن کا رزلٹ پہلے سے بتا رہے ہیں...... "مداخلت" ......

Liberalisation of Agricultural Land Ceiling Laws

*83. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:†

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) in view of the liberalisation policy whether Government intends to consider suggesting to the state Governments liberalisation of the Agricultural Land Ceiling Laws in States and to increase the ceiling limits;

(b) if so, whether Government intends to make some study in this direction and in what manner;

(c) whether Government have received representations in this direction; and

(d) whether relaxing or increasing the ceiling limit is beneficial to the people of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Question has not arisen as on date.

(c) No, Sir. But some States like West Bengal and Maharashtra have proposed to undertake amendment in their existing Land Reforms Law for liberalisation of the ceiling norms in favour of the industrial enterprises. However, no State has so far amended the land ceiling laws in this connection.

(d) This country adopted ceiling laws on agricultural land since mid 50s and pursued the concept till date. It was always conceived by all the States and Union Government that imposition of ceiling of a maximum holding on agricultural land will increase the distributive justice in respect of the most vital productive assets of the rural areas *i.e.* land. There is, however, no proposal under consideration of the Government either to relax or to increase the ceiling limit of agriculture land.

MR. CHAIRMAN: Mr. Netam, I understand that this Question relates to rural development. So, are you prepared?

SHRI ARVIND NETAM: Sir, I will try to answer.

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKER: Sir, there are States which have implemented the land ceiling laws almost fully, for example, Maharashtra and some other States. There are certain other States which have not implemented the land ceiling laws. Will the Minister tell us the names of the States whose performance was best in the area of implementation of the land ceiling laws and also the names of the States whose performance was not so good.

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा॰ जगन्नाथ मिश्र): सभापति महोदय, सभी राज्यों ने भूमि सीमा संबंधी कानून पारित कर लिया है। सभी राज्यों ने प्रगति की है लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की प्रगति अच्छी है लेकिन वहां भी और दूसरे राज्यों में भी बहुत सारी जमीन कानून विवाद में फंसी हुई है। इस समय जो हमने समीक्षा की है, उसके मुताबिक 10,65,000 एकड़ जमीन विवादों में है, 4,57,000 एकड़ जमीन दूसरे कार्यों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने आरक्षित कर ली है, 4,41,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती योग्य नहीं है और इस समय 1,02,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो बांटने योग्य है। सभी मुख्य मंत्रियों को हमने कहा है अभी हाल में पत्र के द्वारा कि वे जितनी जमीन बांटने योग्य है, उस जमीन को तत्काल बांटे और जो 10,00,000 एकड़ जमीन विवादों में है, उसके लिए संविधान की धारा 323 बी के तहत विशेष वितरण की स्थापना करके मामलों का शीघ्रता से निष्पादन कराएं और

*[ ]Transliteration in Arabic script.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Shrikant Ramchandra Jichkar.